

सूचना के अधिकार
अधिनियम—2005
की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत
उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र
का मैनुअल संख्या— 1 से 17

**Manual of
Uttarakhand Space Application
Centre
under Section 4 (1) (b) of Right to
Information
Act, 2005**

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र
अपर आमवाला,
नालापानी,
देहरादून — 248008

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1—	मैनुअल संख्या-1 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।	4—20
2—	मैनुअल संख्या-2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	21—26
3—	मैनुअल संख्या-3 लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना।	27—28
4—	मैनुअल संख्या-4 नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना।	29—30
5—	मैनुअल संख्या-5 दस्तावेज, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, श्रेणियों के अनुसार विवरण।	31—32
6—	मैनुअल संख्या-6 बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	33—34
7—	मैनुअल संख्या-7 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।	35—36

8—	मैनुअल संख्या—8 निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)।	37—38
9—	मैनुअल संख्या—9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	39—41
10—	मैनुअल संख्या—10 अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति; — (संविदा कर्मियों को छोड़कर शासकीय नियमानुसार)।	42—44
11—	मैनुअल संख्या—11 प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)।	45—50
12—	मैनुअल संख्या—12 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	51—52
13—	मैनुअल संख्या—13 रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	53—54
14—	मैनुअल संख्या—14 कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम	55—56
15—	मैनुअल संख्या—15 किसी इलक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे	57—58
16—	मैनुअल संख्या—16 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण।	59—61
17—	मैनुअल संख्या—17 ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।	62—63

सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005

मैनुअल सख्या –1

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र,
की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

[धारा 4(1) (ख) (i)]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या-01

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

प्रस्तावना—

प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी शुद्ध आंकड़ों पर विकास कार्यक्रमों की योजना बनाये जाने के परिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना देहरादून में इस उद्देश्य से की कि नवीनतम अन्तरिक्ष एवं उपग्रहीय सुदूर संवेदन तकनीक तथा सामान्य एवं पारम्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी समुचित आंकड़ों का सृजन किया जा सके। इस प्रकार समन्वित प्रयासों से सृजित आंकड़ों को प्रदेश सरकार के विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से, इस केन्द्र द्वारा प्रदेश की जल सम्पदा, खनिज, वन एवं कृषि सम्पदा, मृदा, भूमि उपयोगिता एवं नगरीय संरचना सम्बन्धी अध्ययन किया जाना प्रस्तावित हैं।

कृत्य:

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं:—

1. सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यों को कराना, उनको आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन प्रदान करना, समन्वय करना, अनुसंधान और विकास में सहयोग करना।
2. वास्तविक लागत के आधार पर उपयोगकर्ता इकाई को परामर्शी सेवायें प्रदान करना तथा उनको आधारभूत सर्वेक्षण की सुविधायें प्रदान करना।
3. अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा समस्त प्राकृतिक संसाधन के अनुश्रवण और आंकलन हेतु सर्वेक्षण करना।
4. अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा भूमि उपयोग के तरीकों, बदलते पर्यावरण, सिंचन पद्धतियों, वानिकी संसाधनों तथा फसलों की बीमारियों के पता लगाने इत्यादि के अनुश्रवण हेतु भौतिक कालिक सर्वेक्षण कराना।
5. आंकड़ों के प्रभावी अधिग्रहण एवं उनकी पुनः प्राप्ति हेतु पद्धति तैयार कराना तथा विभिन्न प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी आंकड़ों के भंडारण के लिए अपेक्षित क्रियाशील आंकड़ों को विकसित कराना।
6. राज्य में कार्यरत इकाईयों के मध्य समन्वयक संगठन के रूप में कार्य करना और अन्तरिक्ष तकनीक का कार्यस्थल स्तर तक प्रसार करना।
7. अन्तरिक्ष तकनीक से सम्बन्धित क्रियाकलापों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराना।
8. अन्तरिक्ष तकनीक और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में उन्नतिशील अध्ययन और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण सुविधायें, व्याख्यानों और संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।
9. अन्तरिक्ष तकनीक और तत्सम्बन्धी विधियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग और सौजन्य प्रदान करना।

10. केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन एवं जी.आई.एस. प्रणाली पर आधारित अनुसंधानों के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों को समय-समय पर प्रकाशित करना।
11. अन्तरिक्ष तकनीक की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रशिक्षण, सेमिनार एवं सिम्पोजिया इत्यादि आयोजित करना।
12. राज्य में नोडल एजन्सी के रूप में कार्य करते हुये उपयोगकर्ता विभागों को सुदूर संवेदन तकनीक की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना।

लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास इसके गठन का प्रसंग:

9 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य के जन्म के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य की आवश्यकता को देखते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, आपदा व्यवस्था तथा ग्राम्य विकास तथा सुदूर शिक्षा एवं ई-गवर्नेन्स आदि के क्षेत्र में राज्य को समृद्ध एवं खुशहाल बनाये जाने तथा विज्ञान एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी एवं प्रभावशाली बनाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में शासन की अधिसूचना संख्या-1635/XXXVIII(1)/173-वि0प्रौ0/2005 दिनांक 21 सितम्बर, 2005 द्वारा की गयी। वर्ष 2005 में ही यह संस्था विधिवत् सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में पंजीकृत है।

उत्तरांचल शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्या: 1635/XXX VIII(1)/173- वि0 प्रौ0/2005

देहरादून : दिनांक : 21 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, आपदा व्यवस्था तथा ग्राम्य विकास तथा सुदूर शिक्षा एवं ई-गवर्नेन्स आदि के क्षेत्र में राज्य को समृद्ध एवं खुशहाल बनाये जाने तथा विज्ञान एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी एवं प्रभावशाली बनाये जाने के उद्देश्य से अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल (U-SAC) की स्थापना किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल (U-SAC) की स्थापना के साथ-साथ उक्त केन्द्र के कार्यकारणी समिति निम्नवत् गठित किए जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | |
|---|------------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 6. निदेशक, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद | सदस्य |
| 7. निदेशक, अर्थ आबजवेशन सिस्टम, अन्तरिक्ष मुख्यालय बेंगलोर | सदस्य |
| 8. निदेशक, एन0आर0एस0ए0, हैदराबाद | सदस्य |
| 9. प्रमुख आर0आर0एस0एस0सी0, देहरादून | सदस्य |
| 10. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून | सदस्य |
| 11. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उत्तरांचल देहरादून | सदस्य |
| 12. निदेशक, वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून | सदस्य |
| 13. निदेशक, भारतीय भूगर्भ संस्थान, देहरादून | सदस्य |
| 14. निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून | सदस्य |
| 15. निदेशक, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून | सदस्य-सचिव |

अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल के निदेशक जो उपरोक्त समिति के सदस्य-सचिव भी हैं U-SAC के Operational & Administrative दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3- उक्त केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस केन्द्र के महत्वपूर्ण विभाग यथा- सुदूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक संरचना तंत्र एवं उपग्रह संचार राज्य को विज्ञान तकनीक एवं संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी

बनाने के साथ ही साथ राज्य में विकास कार्यों की रूप रेखा तैयार करना एवं संसाधन प्रबन्धन में समय एवं धन की बचत की करना होगा

4— अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल (U-SAC) को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत कराया जायेगा तथा इसका मुख्यालय देहरादून में होगा।

5— अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल (U-SAC) एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में उत्तरांचल शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित होगा।

6— अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल (U-SAC) की विभागीय संरचना का गठन वित्त विभाग/कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन के परामर्शोपरांत पृथक से किया जायेगा।

(डा० एस. एस. सन्धू)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या:1635/XXXVIII(1)/173-वि० प्रौ०/2005, तद्दिनांकित:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2—सचिव, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
- 4—समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 5—समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6—वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 7—स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 8—स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 9—निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
- 10—निजी सचिव, मा० मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 11—उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जिला—हरिद्वार।
- 12—निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उत्तरांचल।
- 13—अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल के कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगण।
- 14—गोपन अनुभाग।
- 15—एन० आई० सी० उत्तरांचल शासन।
- 16—प्रमुख आर०आर०एस०एस०सी०, कालीदास रोड़ देहरादून।
- 17—गार्ड—फाइल।

आज्ञा से

(डा० एस. एस. सन्धू)
सचिव

लोक प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 411/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005 दिनांक 25.07.2006, अधिसूचना संख्या 1426/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005 दिनांक 11.10.2006 एवं अधिसूचना संख्या 127(1)/XXXVIII(1)/10-173-वि0प्रौ0/2005 (टी.सी.) दिनांक 11.03.2010 द्वारा उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की विभागीय संरचना के अन्तर्गत कुल 37 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

शासन के पत्र संख्या 562/XXXVIII/2015-173(वि0प्रौ0)/2005 दिनांक 21.11.2015 के माध्यम से शासन द्वारा केन्द्र में 04 नवीन पदों का सृजन किया गया है। अतः केन्द्र की विभागीय संरचना के अन्तर्गत सृजित पदों की कुल संख्या 41 हो गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त पत्र के माध्यम से लैब अटैण्डेन्ट के 02 पद और आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

उत्तरांचल शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
संख्या: 411 / XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005
देहरादून : दिनांक: 25 जुलाई, 2006

अधिसूचना

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आपदा व्यवस्था, ग्राम्य विकास तथा सुदूर शिक्षा एवं ई-गवर्नेंस आदि के क्षेत्र में राज्य को समृद्ध एवं खुशहाल बनाये जाने तथा विज्ञान एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या-1635/ XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005, दिनांक 21-सितम्बर, 2005 से अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून (U-SAC) की स्थापना की गई।

2- उत्तरांचल अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून (U-SAC) को क्रियाशील करने हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार U-SAC की विभागीय संरचना में निम्न विवरणानुसार कुल 35 अस्थाई पद इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि अथवा पद के भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो से, दिनांक 28/2/2007 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न किये जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1.	निदेशक	01	18400-22400
2.	वैज्ञानिक/अभियन्ता (एस.डी)	02	10000-15200
3.	वैज्ञानिक/अभियन्ता (एस.सी)	06	8000-13500
4.	लेखाधिकारी	01	6500-10500
5.	वैज्ञानिक सहायक "ग्रेड सी"	04	5500-9000
6.	वैयक्तिक सहायक	01	5500-9000
7.	पुस्तकालय सहायक "ग्रेड सी"	01	5500-9000
8.	वैज्ञानिक सहायक "ग्रेड बी"	04	5000-8000
9.	पुस्तकालय सहायक "ग्रेड बी"	01	4000-6000
10.	आशुलिपिक	01	4000-6000
11.	प्रवर सहायक	01	4000-6000
12.	लेखा सहायक	01	3050-4590
13.	कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	05	3050-4590
14.	भण्डारी	01	3050-4590
15.	वाहन चालक	02	3050-4590
16.	अनुसोवक	03	2550-3200
योग :-		35	

3- निदेशक (वेतनमान रुपये 18400-22400) का पद शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1355/ XXXVIII(1)/06-174-वि0प्रौ0/2005, दिनांक 13-सितम्बर, 2005 से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा गया है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात नियमित नियुक्ति की जावेगी। उपरोक्त तालिका के क्रमांक 2,3,5,7,8,9 में अंकित पदों पर नियुक्ति की योग्यताएँ/अर्हताएँ भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा

निर्धारित मानकों एवं अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल द्वारा निरूपित नियमावली के तहत की जायेगी तथा भर्ती प्रक्रिया भी तदनुसार होगी। कार्य की महत्ता को देखते हुए इन पदों को आरम्भ में 3 वर्ष के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभवी कर्मचारियों से यथासम्भव प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भरा जा सकता है।

4- क0स0-4 का पद उत्तरांचल वित्तीय सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। क0स0-11 का पद सीधी भर्ती का न होकर पदोन्नति का पद है अतएव इस पद पर प्रथम तीन वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की जायेगी, तत्पश्चात् सुसंगत सेवा नियमावली के तहत पदोन्नति द्वारा पद भरा जायेगा।

5- उपरोक्त तालिका के 6,10,12,13,14,15,16 में अंकित पदों पर नियुक्ति की अर्हतायें/योग्यतायें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रचलित सम्बन्धित नियमावलियों के अनुरूप होंगी तथा भर्ती प्रक्रिया भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत की जायेगी।

6- उक्त पद के धारकों को पद के वेतन के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित अनुमन्य मंहवाई भत्ता एवं अन्य भत्ता आदि देय होंगे।

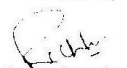
7- अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र उत्तरांचल की विभागीय संरचना में स्वीकृत उपरोक्त पदों पर स्वायत्तशासी संस्था के नियम लागू होंगे।

8- उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों का सृजन अधिसूचना संख्या-1635/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005, दिनांक 21-सितम्बर, 2005 के प्रस्तर-6 में दिये गये निर्देशानुसार कार्मिक विभाग/वित्त विभाग की सहमति से किया जा रहा है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या ⁴¹¹ /xxxviii(1)/06-173 वि0प्रौ0/2005 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तरांचल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- निदेशक, यू-सर्क, उत्तरांचल।
- 7- निदेशक, विज्ञान अनुसंधान परिषद, उत्तरांचल।
- 8- उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित की अधिसूचना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ वांछित प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
- 10- निजी सचिव, मा0 मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल।
- 11- गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव

प्रेषक,

दीपक कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 2 / नवम्बर, 2015

विषय:- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक) के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य को प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, आपदा व्यवस्था तथा ग्राम्य विकास एवं सुदूर शिक्षा व ई-गवर्नेंस आदि के क्षेत्र में समृद्ध एवं खुशहाल बनाये जाने तथा विज्ञान एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी एवं प्रभावशाली बनाये जाने के उद्देश्य से शासन की अधिसूचना संख्या 1635/XXXVIII(1)/173- वि0प्रौ0/2005 दिनांक 21.09.2005 द्वारा उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (U-SAC) का गठन किया गया एवं शासन की अधिसूचना संख्या- 411/XXXVIII(1)/06-173वि0प्रौ0/2005 दिनांक 25.07.2006, अधिसूचना संख्या- 1426/XXXVIII/10-173वि0प्रौ0/2005 दिनांक 11.10.2006 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 127(1)/XXXVIII/10-173/2005 टी.सी. दिनांक 11.03.2010 द्वारा केन्द्र की विभागीय संरचना के अन्तर्गत आयोजनागत मद में कुल 37 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान में केन्द्र के उद्देश्यों के अनुरूप इसकी गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत केन्द्र के पत्रांक संख्या- यू-सैक/मुख्या0/2014/445 दिनांक 18.12.2014 द्वारा शासन को अतिरिक्त नवीन पदों के सृजन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक) की विभागीय संरचना के अन्तर्गत निम्नानुसार कुल 06 अतिरिक्त नवीन पद स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	पद नाम	वेतनमान (ग्रेड पे)	स्वीकृत पद (संख्या)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
01	सिस्टम मैनेजर	रू० 15600-39100 ग्रेड पे-5400	01	सीधी भर्ती
02	डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर	रू० 9300-34800 ग्रेड पे-4600	01	सीधी भर्ती
03	फील्ड असिस्टेंट/जी.आई. ग्राउण्ड टूथिंग	रू० 5200-20200 ग्रेड पे-2400	02	सीधी भर्ती
04	लैब अटेंडेंट	-	02	आउट सोर्स

2

05	सुरक्षागार्ड	-	-	सुरक्षा सेवा पूर्णतया आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से
कुल पद			06	-

2- इस शासनादेश द्वारा सृजित किये जा रहे पदों की सेवा को विनिमित्त किये जाने, पदों पर भर्ती हेतु अर्हता/योग्यता निर्धारण हेतु केन्द्र द्वारा नियमानुसार प्रख्यापित सेवा नियमावली/सेवानियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। नियमावली/सेवानियम पर शासन के अनुमोदनोपरान्त केन्द्र द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार इन पदों को भरे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3- उक्त सृजित किये जा रहें पदों पर अधिसूचना संख्या 411/XXXVIII(1)/06-173वि0प्रौ0/2005 दिनांक 25.07.2006, में उल्लिखित शर्तें/व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

4- शासनादेश के क्रमांक-04 एवं 05 पर इंगित पदों पर आउटसोर्स के आधार पर उक्त पदों की संख्या की सीमा में ही नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-152NP/XXVII(5)/2015 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्या- 562/XXXVIII/2015-173(वि0प्रौ0)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
7. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उपसचिव।

उत्तरांचल शासन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
संख्या : 11/2.6/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005
देहरादून : दिनांक 11 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

- अधिसूचना संख्या : 411/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005, दिनांक 25 जुलाई, 2006 द्वारा गठित उत्तरांचल अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (USAC) की विभागीय संरचना के काम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रुपये 6500-10500 के एक पद के सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
- 2- उक्त सृजित पद पर उपरोक्त समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2006 में उल्लिखित शर्तें/व्यवस्थायें यथावत लागू होंगी।
- 3- सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अहंता प्रदत्तान में रनातकोत्तर (एम0बी0ए0)अथवा उसके समकक्ष होगी।
- 4- सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनाती प्रतिनिगुक्ति द्वारा या सुरंगत रोवानियमावली गठित कर उसके प्राविधानों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।
- 5- उपरोक्त पद का सृजन अधिसूचना संख्या : 1635/XXXVIII(1)/173-वि0प्रौ0/2005 देहरादून दिनांक 21-सितम्बर, 2005 के प्रस्तर-6 के अनुरूप वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति से किया जा रहा है।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 11/2.6/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005 तददिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, मण्डल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- निदेशक, यू-सर्क, उत्तरांचल।
- 7- निदेशक, विज्ञान अनुसंधान परिषद, उत्तरांचल।
- 8- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की हरिद्वार को दृश आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट के आगामी अंक से प्रकाशित करने के साथ वांछित प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
- 9- निजी सचिव, मा0 मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुण0 चौहान)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग
संख्या: /XXXVIII/10-173/2005 (टी0सी0)
देहरादून: दिनांक: 11 मार्च, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्या: 411/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005, दिनांक: 25 जुलाई, 2006 के अन्तर्गत 35 पदों तथा पत्र संख्या: 1426/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005, दिनांक: 11 अक्टूबर, 2006 के अन्तर्गत 01 पद (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कुल 36 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, (U-SAC) की विभागीय संरचना के क्रम में जनसम्पर्क अधिकारी, वेतनमान रु0 6500-10500 के एक पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त सृजित पदों पर उपरोक्त समसंख्यक अधिसूचना दिनांक: 25 जुलाई, 2006 में उल्लिखित शर्तें/व्यवस्थायें यथावत् लागू होंगी।
3. जनसम्पर्क अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता/योग्यतायें भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा निरूपित नियमावली के तहत निर्धारित होगी।
4. जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर तैनाती प्रतिनियुक्ति द्वारा या सुसंगत सेवानियमावली गठित कर उसके प्राविधानों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्या: (1)/XXXVIII/10-173/2005 (टी0सी0), तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट के आगामी अंक से प्रकाशित करते हुए 100 प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

27/3/2010

27/3/2010
27/3/2010

निदेशक/Director
अनु सचिव/D-SAC

प्रेषक,

अरुण कुमार ढौडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 22 मार्च, 2012

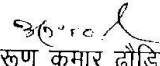
विषय: -उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून हेतु सृजित पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: यू-सैक/मुख्या0/107/2012/224, दिनांक: 17 मार्च, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 411/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005, दिनांक: 25.07.2006 द्वारा सृजित 35 पद तथा शासनादेश संख्या: 1426/XXXVIII(1)/06-173-वि0प्रौ0/2005, दिनांक: 11.10.2006 द्वारा सृजित 01 पद तथा कार्यालय-ज्ञाप सं0 127/XXXVIII/10-173/2005 (टी0सी0), दिनांक: 11 मार्च, 2010 के द्वारा सृजित 01 पद अर्थात् कुल 37 पदों की निरन्तरता दिनांक: 28.02.2013 तक के लिए बढ़ाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि संबंधित पदों की पूर्ति सहित सभी शर्तें उक्त शासनादेशों के अनुसार ही पूर्ववत् रहेगी।

उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं तथा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने से पूर्व शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

भवदीय,


(अरुण कुमार ढौडियाल)
सचिव।

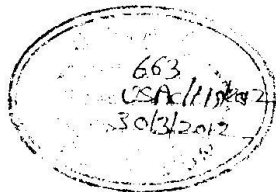
संख्या: (1)/XXXVIII/12-173/2005, तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कार्यालय महालेखाकार ओबेराय विल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, यू-सैक।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।



केन्द्र की विभागीय संरचना के अन्तर्गत सृजित पदों एवं सातवें वेतन आयोग की

संस्तुतियों के अनुरूप विभिन्न पदों एवं उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स लेवल तथा वेतनमान निम्नानुसार है—

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	वेतनमान (रु० में)
1.	निदेशक	01	14	144200—218200
2.	वैज्ञानिक/अभियन्ता एस.डी.	02	11	67700—208700
3.	वैज्ञानिक/अभियन्ता एस.सी.	06	10	56100—177500
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	7	44900—142400
5.	लेखाधिकारी	01	7	44900—142400
6.	जन सम्पर्क अधिकारी	01	7	44900—142400
7.	वैज्ञानिक सहायक ग्रेड—सी	04	6	35400—112400
8.	पुस्तकालय सहायक ग्रेड—सी	01	6	35400—112400
9.	वैज्ञानिक सहायक ग्रेड—बी	04	6	35400—112400
10.	पुस्तकालय सहायक ग्रेड—बी	01	6	35400—112400
11.	वैयक्तिक सहायक	01	6	35400—112400
12.	सहायक लेखाकार	01	5	29,200—92,300
13.	आशुलिपिक	01	4	25500—81100
14.	प्रवर सहायक	01	4	25500—81100
15.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	05	2	19900—63200
16.	भण्डारी	01	2	19900—63200
17.	वाहन चालक	02	2	19900—63200
18.	अनुसेवक	03	1	18000—56900
19.	सिस्टम मैनेजर	01	10	56100—177500
20.	डाटा बेस ऐडमिनिस्ट्रेटर	01	7	44900—142400
21.	फील्ड असिस्टेंट/जी०आई० ग्राउण्ड टूथिंग	02	4	25500—81100
22.	लैब अटेण्डेण्ट (आउटसोर्स से)	02	—	—
	कुल सृजित पद	43		

केन्द्र के मैमोरेण्डम ऐण्ड रूल्स आफ एसोसिएशन (संगम ज्ञापन) के नियम संख्या 10ग के अनुसार प्रबन्धकारिणी समिति को राज्य सरकार के अनुमोदन से केन्द्र के कार्मिकों की सेवा शर्तों के विनियमन की शक्ति प्राप्त है। तदनुसार शासन के पत्र संख्या— 409/XXXVIII/वि0प्रौ0/11-54/2010 दिनांक 24.06.2011 द्वारा प्राप्त अनुमोदन एवं प्रबन्धकारिणी समिति की पंचम बैठक में प्राप्त स्वीकृति/अनुमोदन के अनुक्रम में 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र कार्मिक सेवा दिशा निर्देश' केन्द्र के कार्यालय आदेश संख्या यू-सैक/मुख्या0/जी.बी./2011/46 दिनांक 20.09.2011 द्वारा प्रख्यापित हो चुके हैं। नवसृजित 04 पदों हेतु सेवा-नियमावली शासन के पत्र संख्या— 339/XXXVIII/2017/54/2010 दिनांक 23.10.2017 द्वारा अनुमोदित है।

संख्या: 409 /XXXVIII/वि0प्रौ0/11-54/2010

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संता में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

देहरादून: दिनांक 24 जून, 2011

विषय: उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के कार्मिकों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु दिशा निर्देशों के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या यू-सैक/टी0डी0/2010/606, दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 का कृपया संन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है अतः वह संस्था अपने संगम-ज्ञापन से संचालित होती है। संगम-ज्ञापन के अनुच्छेद-10 (ग) में केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति को राज्य सरकार के अनुमोदन से केन्द्र के सदस्यों और अन्य अधिकारी/कर्मचारी गणों की सेवा शर्तों के विनियमन की शक्ति प्राप्त है। अतः केन्द्र द्वारा प्रस्तावित सेवा नियमावली को शासन स्तर पर विचारोपरान्त अनुमोदित कर 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र कार्मिक सेवा दिशा-निर्देश' के रूप में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसे नियमानुसार प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित कराकर लागू करें।

संतुष्ट यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(उत्तराखण्ड शासन)

07, न्यू कैण्ट रोड, देहरादून

सं० यू-सैक/मुख्या0/जी0वी0/2011/46

दिनांक 24 सितम्बर, 2011

कार्यालय आदेश

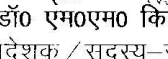
उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति ने अपनी 6/2011-वीं बैठक, जो दिनांक 24.08.2011 को आयोजित हुई थी, में शासन के पत्र संख्या-409/XXVIII/वि0प्रौ/11-54/2010 दिनांक 24.06.2011 द्वारा अनुमोदित 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र कार्मिक सेवा दिशा-निर्देश 2011' को केन्द्र के मैमोरेण्डम एण्ड रूल्स आफ एसोसिएशन के प्राविधान संख्या 10-सी के आलोक में प्रख्यापित कर लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

तदनुसार उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के अधीन वैज्ञानिकों/अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति, कार्य, दायित्व, आचरण, अनुशासन, परिलक्षियों एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने सम्बन्धी 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र कार्मिक सेवा दिशा-निर्देश 2011' को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।


(डॉ० एम०एम० किमोटी)
निदेशक/सदस्य-सचिव
यू-सैक गवर्निंग बॉडी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० मुख्य सचिव/अध्यक्ष, यू-सैक प्रबन्धकारिणी समिति को मा० अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, यू-सैक।
4. लेखाधिकारी, यू-सैक।
5. सूचना पट्ट।


(डॉ० एम०एम० किमोटी)
निदेशक/सदस्य-सचिव
यू-सैक गवर्निंग बॉडी

3
A. Kishor

केन्द्र की विभागीय संरचना के अन्तर्गत सृजित 37 पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कार्मिक सेवा दिशा निर्देश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार गतिमान है।

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

केन्द्र द्वारा राज्य के विभिन्न रेखीय/उपयोगकर्ता विभागों हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यशाला, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन प्रतिभागियों द्वारा भी कराया जाता है तथा प्रतिभागियों की पृच्छा का समाधान तत्काल कर दिया जाता है।

कार्यालय का पता –

1. उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (मुख्यालय)
अपर आमवाला, नालापानी,
देहरादून-248008
2. कार्यालय खुलने का समय : 10.00 प्रातः
कार्यालय बन्द होने का समय : 05.00 सांय

माह के द्वितीय शनिवार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाशों में केन्द्र में अवकाश रहता है।

मैनुअल सख्या -2

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां
एवं कर्तव्य

[धारा 4(1) (ख) (ii)]

केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना सितम्बर 2005 में हुई है। उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन हैं। केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष (पदेन मुख्य सचिव) एवं केन्द्र निदेशक को प्रतिनिधानित अधिकारों एवं शक्तियों से केन्द्र के कार्य-कलाप सम्पादित होते हैं। वर्तमान में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 222/XXXVIII/2017-01/2010 दिनांक 16.12.2020 द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन निम्नवत किया गया है—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन (अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव)	सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन (अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव)	सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन (अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव)	सदस्य
6. प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन (अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव)	सदस्य
7. प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8. प्रमुख सचिव/सचिव पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9. निदेशक, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियॉलोजी, देहरादून	सदस्य
10. निदेशक, स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, अन्तरिक्ष विभाग, अहमदाबाद	सदस्य
11. निदेशक, जी०बी० पंत नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरनमेंट, अल्मोड़ा	सदस्य
12. अधिष्ठाता, आई०आई०आर०एस०, देहरादून	सदस्य
13. निदेशक, उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून	सदस्य
14. निदेशक, राज्य बायोटेक कार्यक्रम, हल्दी पंतनगर	सदस्य
15. निदेशक, उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र	सदस्य—सचिव

केन्द्र के रूल्स आफ एसोसिएशन के अनुसार समस्त वित्तीय शक्तियाँ केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति में निहित हैं। केन्द्र के कार्यकलापों के सुचारु सम्पादन के उद्देश्य से प्रबन्धकारिणी समिति की प्रथम बैठक में शक्तियों/अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रबन्धकारिणी समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के संगत पृष्ठ निम्नवत हैं—

3. Delegation of Powers

The Director U-SAC has been assigned with all the Operational and Administrative responsibilities of the Centre vide G.O No. 1635/XXXVIII(1)/173-10000 /2005, dated 21.09.05. According to Rules of Association of U-SAC (under Societies Act 1860), all the financial powers vest with the Governing Body. In order to execute the responsibilities, and for smooth running of the centre, the Governing Body of the U-SAC delegated following powers to Director U-SAC, subject to the conditions given below:

- A. Re-appropriation of funds up to Rs.500,000 from one unit to another, provided such re-appropriation shall not have the effect of involving the centre in further outlay in the following years in the same scheme/proposal and all such re-appropriation will be reported to the Governing Body at its next meeting. Re- appropriation of funds above Rs.500,000 would need approval of Chairman, U-SAC Governing Body.
- B. All the financial powers not specifically delegated in this delegation shall be exercised by the Governing Body of the U-SAC.

The delegated powers are as under:

Sl.NO.	Activity	Extent of Power	Remarks
1	For appointing scientific and administrative staffs (Above pay Scale of 8000-13500) on direct recruitment, Deputation/contract from other Govt. Departments including autonomous organizations and corporations (State/Central Govt. funded).	On recommendations of Selection Committee & approval of Governing Body.	Governing Body will be the Appointing Authority for employees having pay Scale above 8000-13500.

2	For submitting proposal and taking projects from both State and Central Government/ Autonomous Organizations/ Scientific Institutions and private companies.	Authorized	Separate accounts will be maintained for each project.
3	Financial powers for sanction and to incur expenditure on the items required for the centre including Office and Laboratory equipments, Hardware, Software, Furniture, maintenance and service at each time.	Authorized up to Rs 10 Lakhs in each time.	Approval of Governing Body will be required for each individual expenditure of more than 10 Lakhs.

2	For appointing scientific and administrative staffs (Up to Pay scale of Rs.8000 - 13500) on direct recruitment, on Deputation/ contract from other Govt. Departments including autonomous organizations and corporations (State/Central Govt. funded).	Full powers (On recommendations of Selection Committee).	Director, U-SAC will be the Appointing Authority for employees up to pay scale of 8000 - 13500).
3	For appointing scientific and administrative staffs under specific project funded by State/Central Govt. Departments including autonomous organizations and corporations (State/Central) and International funding Agencies.	Full powers (On recommendations of Selection Committee constituted for the purpose).	Director may delegate appropriate powers to Principal Investigator/ Coordinator of the project. (The project staff will not be considered as the staff of U-SAC for organizational benefits).
4	To Forward application of Employees of U-SAC for outside employment.	Authorized	
5	To initiate Disciplinary action (explanation call, show cause notice, pay fine, suspension/ reinstatement)	Full powers up to pay scale of 8000 -13500. Limited to show cause notice and seeking of explanation for employees above pay scale of 8000-13500.	Powers to initiate Disciplinary action for employees above pay scale of 8000-13500 and up to 12000-16500 will remain with Chairman U-SAC Gov. Body. For employees above pay scale of 12000-16500 these powers will be exercised by the Governing Body.
6	To sanction and incur expenditure on hiring of building on rent for Office / guest house	Up to 5 Lakhs per Year in each case	More than 5 Lakhs per Year in each individual case would need approval of Chairman Governing Body
7	To Sanction and incur expenditure on hiring of conveyance for office, field work, ground truth etc.	Authorized as per Centre's needs	
8	To make payment of Pay and Allowances including arrears to the employees of U-SAC, including Director	Full powers	

16	Sanction of funds for R&D projects to Universities, educational Institutes and other professional and academic organizations.	Up to Rs. 10 Lakhs in each case as per provisions in budget and subject to the approval of project advisory/ review committee.	Above Rs.10 Lakhs would need approval of Chairman Governing Body.
17	Sanction of tours and payment of TA/DA for staff (including Director), Project Scientists, Specialists, Consultants, contractual staff and invited guests of U-SAC	Full powers	
	Sanction of tours and payment of TA/DA for staff, Project Scientists, Specialists		

26	To sanction hospitality to guests and visitors (including accommodation in Hotel / Guest house) and in-house refreshments for staff or project scientists of the centre working beyond office hours.	Authorized	
27	Sanction of honorarium to visiting scientists/experts and in-house scientists during workshops, seminars and training programs, interviews etc.	Full Powers subject to a maximum of Rs 2000/per day	
28	Sanction of honorarium to the staff, project scientists and project supporting staff in recognition of their extra work beyond the office hours at the rate of Rs. 500 or Rs. 1000 per day as per eligibility.	Full Powers subject to a maximum of Rs.1000/per day	Sanction of honorarium of more than Rs. 1000 would need approval of Chairman, Governing Body
29	Opening Bank accounts for the funds received for the Centre and Projects	In Nationalized banks	
30	Keeping term deposits of surplus and unused funds	In Nationalized banks	
31	Opening user account at National Remote Sensing Agency (NRSA), keeping advance deposit in NRSA user account and purchase of satellite imageries and digital data from NRSA	Full powers	
32	Purchase of aerial photographs / satellite imageries/Digital data from NRSA or other agencies authorized by the Government, and topo-sheets from SOI or any other places.	Full powers subject to Govt norms in case of restricted data	
33	To appoint committees for smooth functioning of the Centre	Authorized	
34	Approval for deputation, nomination of staff, project scientists, consultants, specialists (including the Director) and project staff working under consultants.		

	For study tour / training / meeting / workshops / seminars / conventions and other related programmes within India	Authorized Up to 10 months	More than 10 months would need approval of Chairman Governing Body.
	For study tours/ training/ meeting/workshops/seminars/conventions and other related programmes outside the country including the Director	May recommend to Government of Uttaranchal for approval	
35	Recruitment of project staff, JRFs, Project scientists etc. for Project duration	Full powers as per availability of funds in the Project budget.	
36	To sanction and incur expenditure on maintenance / upkeep of office building including minor repairs and renovation	Up to Rs 1 Lakhs in each individual case	More than 1 Lakhs would need approval of Chairman Governing Body

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूची निम्नवत है—

क्र० सं०	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार
1—	मैमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन	नियम
2—	रूल्स ऑफ एसोसिएशन	नियम
3—	प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त	अभिलेख
4—	प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का एजेण्डा	अभिलेख
5—	कार्मिक सेवा दिशा निर्देश-2011 तथा 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, कार्मिक सेवा दिशा निर्देश, 2017	नियम
6—	सिटीजन चार्टर	अभिलेख
7—	वार्षिक प्रतिवेदन/कार्यपूति दिग्दर्शिका	अभिलेख

उक्त के अतिरिक्त अन्य अभिलेख, नियम, दिशा-निर्देश आदि जो समय-समय पर प्रभावी होते हैं।

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

अभिलेख का तात्पर्य निम्न सामग्री से है—

- 1—दस्तावेज
- 2—पाण्डुलिपि
- 3—फाइल

प्रबन्धकारिणी समिति में पारित होने वाले प्रस्ताव

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति की अद्यतन 11 बैठकें निम्न विवरणानुसार आहूत हुई हैं—

क्र० सं०	प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	अध्यक्षता में
1—	प्रथम बैठक	27.01.2006	श्री एम. रामचन्द्रन मुख्य सचिव
2—	द्वितीय बैठक	05.10.2006	श्री एम. रामचन्द्रन मुख्य सचिव
3—	तृतीय बैठक	18.02.2008	श्री एस.के. दास मुख्य सचिव
4—	चतुर्थ बैठक	24.09.2009	श्री इन्दु कुमार पाण्डे मुख्य सचिव
5—	पंचम बैठक	30.12.2010	श्री सुभाष कुमार मुख्य सचिव
6—	षष्ठम बैठक	24.08.2011	श्री सुभाष कुमार मुख्य सचिव
7—	सप्तम बैठक	08.01.2013	श्री आलोक कुमार जैन मुख्य सचिव

8—	अष्टम बैठक	13.01.2016	श्री शत्रुघन सिंह मुख्य सचिव
9—	नवम् बैठक	08.01.2019	श्री उत्पल कुमार सिंह मुख्य सचिव
10—	दसवीं	13.01.2020	श्री उत्पल कुमार सिंह मुख्य सचिव
11—	ग्यारहवीं	30.06.2023	श्री एस.एस. संधू मुख्य सचिव

उक्त बैठकों में पारित होने वाले प्रस्ताव, प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों के अनुमोदित कार्यवृत्त केन्द्र में उपलब्ध है।

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक) की सामान्य सभा की प्रथम बैठक दिनांक 17.08.2023 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

पता उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (मुख्यालय)
अपर आमवाला, नालापानी,
देहरादून-248008

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)
आवेदन शुल्क ₹0 10/- प्रति आवेदन के अतिरिक्त सूचना प्राप्ति के लिए अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क (यथा संशोधित) लागू होंगे, जो वर्तमान में निम्न प्रकार हैं—

- (1) तैयार की गयी सामग्री अथवा अभिलेख की छाया प्रति दिए जाने पर ए-4 या ए-3 साईज के एक पृष्ठ का ₹0 2/- प्रति पेज।
- (2) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि दिए जाने पर उसकी वास्तविक लागत।
- (3) अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए प्रथम घण्टा हेतु कोई शुल्क नहीं एवं उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु शुल्क रुपये 5
- (4) डिस्कट/फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए ₹0 50/- प्रति फ्लॉपी/डिस्कट
- (5) मुद्रित प्रारूप में दी गयी सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के लिए प्रति पृष्ठ ₹0 2/-
- (6) सैम्पल/मॉडल की दशा में उसकी वास्तविक लागत।

— तथापि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुरोधकर्ता को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

मैनुअल सख्या -3

लोकप्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

[धारा 4(1) (ख) (iii)]

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के अधीन वैज्ञानिकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति, कार्य, दायित्व, आचरण, अनुशासन, परिलब्धियों एवं अन्य सेवा शर्तें 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र कार्मिक सेवा दिशा निर्देश-2011 तथा 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, कार्मिक सेवा दिशा निर्देश, 2017 से विनियमित होती हैं।

मैनुअल सख्या -4

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

[धारा 4(1) (ख) (iv)]

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के नीति निर्धारण एवं उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रबन्धकारिणी समिति एवं सामान्य सभा गठित है। जिनका विवरण निम्नवत है:—

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की सामान्य सभा निम्नवत है:—

- | | |
|---|-------------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | —अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव, वन एवं ग्रामीण विकास, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 6. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 8. निदेशक, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद | —सदस्य |
| 9. निदेशक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, हैदराबाद | —सदस्य |
| 10. निदेशक, जी0बी0 पंत नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ हिमालयन
एन्वायरनमेंट, अल्मोड़ा | —सदस्य |
| 11. सर्वेयर जनरल ऑफ इण्डिया, देहरादून | —सदस्य |
| 12. निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून | —सदस्य |
| 13. निदेशक, भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण, देहरादून | —सदस्य |
| 14. वरिष्ठ सलाहकार एवं परियोजना निदेशक, बायोटेक्नोलोजी | —सदस्य |
| 15. निदेशक, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियॉलोजी | —सदस्य |
| 16. डीन, आई. आई. आर. एस., देहरादून | —सदस्य |
| 17. महानिदेशक, उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद | —सदस्य |
| 18. निदेशक, उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र | —सदस्य—सचिव |

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति निम्नवत है:—

- | | |
|---|-------------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | —अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 7. प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 8. प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन | —सदस्य |
| 9. निदेशक, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियॉलोजी, देहरादून | —सदस्य |
| 10. निदेशक, स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर (इसरो), अहमदाबाद | —सदस्य |
| 11. निदेशक, जी0बी0 पंत नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ हिमालयन
एन्वायरनमेंट, अल्मोड़ा | —सदस्य |
| 12. अधिष्ठाता, आई.आई.आर.एस., देहरादून | —सदस्य |
| 13. महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, देहरादून | —सदस्य |
| 14. निदेशक, राज्य बायोटेक कार्यक्रम, हल्दी पंतनगर | —सदस्य |
| 15. निदेशक, उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र | —सदस्य—सचिव |

मैनुअल संख्या –5

दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा
धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं,
श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण ।

[धारा 4(1) (ख) (v)]

दस्तावेज, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, श्रेणियों के अनुसार विवरण

1. शोध/अनुसंधान एवं विकास, योजनाएं।
2. भू-पद्धति विज्ञान का अध्ययन जिसके अर्न्तगत धरती एवं उससे जुड़े क्रियाकलापों का अध्ययन।
3. सुदूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपग्रहीय आंकड़ों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु योजनाएं।
4. जल संसाधनों के विकास हेतु योजनाएं।
5. फसल तथा मृदा विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान एवं विकास योजनाएं।
6. भू-उपयोग तथा नगरीय सर्वेक्षण।
7. उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र का ब्रोचर, सिटीजन चार्टर।
8. अधिष्ठान, प्रशासन एवं लेखा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज।
9. वार्षिक प्रगति विवरण, समाचार पत्रिका।
10. उपलब्ध अन्य दस्तावेज।

मैनुअल सख्या -6

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

[धारा 4(1) (ख) (vi)]

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र एक स्वायत्तशासी संस्था है। संस्था के मैमोरेण्डम ऐण्ड रूल्स आफ एसोसिएशन के अन्तर्गत इसकी सामान्य सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति गठित है। जिसका विवरण मैनुअल सं०-4 में उपलब्ध है।
- सामान्य सभा की बैठक सभापति (पदेन मुख्य सचिव) द्वारा निर्दिष्ट तिथि एवं स्थान पर वर्ष में एक बार आहूत किए जाने का प्राविधान है।
- केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक 3 माह में एक बार किए जाने का प्राविधान है।
- केन्द्र की साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की सदस्यता पदेन है तथा ये बैठकें आम जनता के लिए खुली नहीं हैं। बैठक के कार्यवृत्त सुलभ हैं।

मैनुअल सख्या -7

लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम
और अन्य विशिष्टियां

[धारा 4(1) (ख) (vii)]

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र हेतु लोक सूचना अधिकारी श्री आर.एस. मेहता, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अपर आमवाला, नालापानी, देहरादून-248008 और प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमती नितिका खण्डेलवाल, निदेशक, उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अपर आमवाला, नालापानी, देहरादून-248008, दिनांक 14.02.2018 को नामित किये गये हैं।

मैनुअल संख्या –8

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं
उत्तरादायित्व के स्तर सहित)

[धारा 4(1) (ख) (viii)]

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों एवं अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्र के निदेशक को नैत्यक कार्यो हेतु निर्णय का अधिकार प्राप्त है। जिसके आलोक में केन्द्र के कार्यकलापों का सम्पादन किया जाता है। नीति विषयक एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों पर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति के माध्यम से अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी समिति (पदेन मुख्य सचिव) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

विहित प्रक्रिया के अनुरूप नीति विषयक एवं अन्य प्रकरणों पर केन्द्र की उच्च स्तरीय समिति— प्रबन्धकारिणी समिति तथा केन्द्र की सामान्य सभा द्वारा निर्णय लिया जाता है। साथ ही केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति में प्रतिवर्ष शासन से प्राप्त वार्षिक अनुदान को भी रिपोर्ट किया जाता है।

मैनुअल सख्या -9

अधिकारियों और कर्मचारियों की
निर्देशिका

[धारा 4(1) (ख) (ix)]

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र० सं०	नम	पदनाम	वेतनमान (रु० में)	मूल वेतन	टेलीफोन / मोबाइल नं०	पता
1—	श्रीमती नितिका खण्डेलवाल	निदेशक	अतिरिक्त प्रभार	—		उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अपर आमवाला, नालापानी, देहरादून-248008
2—	श्रीमती अरुणा रानी	वैज्ञानिक / अभियन्ता — एस.डी.	रु० 67700—208700	रु० 1,02,500 / —	9412955862	
3—	डॉ० प्रियदर्शी उपाध्याय	वैज्ञानिक / अभियन्ता — एस.डी.	रु० 67700—208700	रु० 83,300 / —	8894009980	
4—	श्री आर.एस. मेहता	लेखाधिकारी	रु० 56,100—1,77,500	रु० 75,400 / —	7579016450	
5—	श्री सुधाकर भट्ट	जनसम्पर्क अधिकारी	रु० 44,900—1,42,400	रु० 68,000 / —	9410543197	
6—	डॉ० गजेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	9412160152	
7—	डॉ० सुषमा गैरोला	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	8057220005	
8—	डॉ० आशा थपलियाल	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	8126757082	
9—	डॉ० नीलम रावत नेगी	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	9412115662	
10—	श्री शशांक लिंगवाल	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	9412965888	
11—	श्री पुष्कर कुमार	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	9759272820	
12—	श्रीमती दिव्या उनियाल चमोली	वैज्ञानिक सहायक ग्रेड—सी	रु० 35,400—1,12,400	रु० 46,200 / —	7895053144	
13—	श्री देवेश कपरुवाण	पुस्तकालय सहायक ग्रेड—बी	रु० 35,400—1,12,400	रु० 46,200 / —	9412960809	
14—	श्री कुशलानन्द	सहायक लेखाकार	रु० 29,200—92,300	रु० 33,900 / —	9410100427	
15—	श्री सौरभ डंगवाल	कनिष्ठ सहायक / सह डाटा एन्ट्री	रु० 19,900—63,200	रु० 26,000 / —	9837440508	

		आपरेटर				
16—	कु० मीना पन्त	कनिष्ठ सहायक / सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	रु० 19,900—63,200	रु० 25,200 / —	2762098	
17—	श्री फागणु भारती	परिचर	रु० 18,000—56,900	रु० 22,800 / —	2762098	

मैनुअल सख्या -10

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी
द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और
उसके निर्धारण की पद्धति

[धारा 4(1) (ख) (x)]

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति; – (संविदा कर्मियों को छोड़कर शासकीय नियमानुसार)

क्र० सं०	नम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	कुल परिलब्धियां	निर्धारण पद्धति
1—	श्रीमती नितिका खण्डेलवाल	निदेशक	अतिरिक्त प्रभार	—	—	—
2—	श्रीमती अरुणा रानी	वैज्ञानिक / अभियन्ता – एस.डी.	रु० 67,700—2,08,700	रु० 1,02,500 / —	रु० 1,58,340 / —	उत्तराखण्ड राज्य सरकार हेतु प्रवृत्त नियमों, विनियमों एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के अनुसार एवं केन्द्र के कार्मिक सेवा दिशा निर्देश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के अनुरूप।
3—	डॉ० प्रियदर्शी उपाध्याय	वैज्ञानिक / अभियन्ता – एस.डी.	रु० 67700—208700	रु० 83,300 / —	रु० 1,47,335 / —	
4—	श्री आर.एस. मेहता	लेखाधिकारी	रु० 56,100—1,77,500	रु० 75,400 / —	रु० 1,32,786 / —	
5—	श्री सुधाकर भट्ट	जनसम्पर्क अधिकारी	रु० 44,900—1,42,400	रु० 68,000 / —	रु० 1,19,039 / —	
6—	डॉ० गजेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	रु० 1,29,124 / —	
7—	डॉ० सुषमा गैरोला	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	रु० 1,29,124 / —	
8—	डॉ० आशा थपलियाल	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	रु० 1,29,124 / —	
9—	डॉ० नीलम रावत नेगी	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	रु० 1,29,124 / —	
10—	श्री शशांक लिंगवाल	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	रु० 1,29,124 / —	
11—	श्री पुष्कर कुमार	वैज्ञानिक—एस.सी.	रु० 56,100—1,77,500	रु० 73,200 / —	रु० 1,29,124 / —	
12—	श्रीमती दिव्या उनियाल चमोली	वैज्ञानिक सहायक ग्रेड—सी	रु० 35,400—1,12,400	रु० 46,200 / —	रु० 81,565 / —	

13-	श्री देवेश कपरुवाण	पुस्तकालय सहायक ग्रेड-बी	रु0 35,400-1,12,400	रु0 46,200 / -	रु0 81,565 / -	
14-	श्री कुशलानन्द	सहायक लेखाकार	रु0 29,200-92,300	रु0 33,900 / -	रु0 60,253 / -	
15-	श्री सौरभ डंगवाल	कनिष्ठ सहायक / सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	रु0 19,900-63,200	रु0 26,000 / -	रु0 45,964 / -	
16-	कु0 मीना पन्त	कनिष्ठ सहायक / सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	रु0 19,900-63,200	रु0 25,200 / -	रु0 44,633 / -	
17-	श्री फागणु भारती	परिचर	रु0 18,000-56,900	रु0 22,800 / -	रु0 40,628 / -	

मैनुअल सख्या -11

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन
विवरण की सूचना सहित)

[धारा 4(1) (ख) (xi)]

प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना से अद्यतन शासन द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में आयोजनागत मद के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान धनराशि प्राप्त हुई है—

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित परिव्यय	स्वीकृत परिव्यय	स्वीकृत बजट	अवमुक्त बजट	शासनादेश संख्या
1—	2005—06	—	—	100.00	100.00	1686 / XXXVIII(1)/180-वि०प्रौ० / 2005 दिनांक 18.11.2005
2—	2006—07	—	—	430.00	430.00	811 / XXXVIII(1)/14-वि०प्रौ० / 2006 दिनांक 22.06.2006
3—	2007—08	1000.00	275.00	275.00	275.00	71(बजट) / XXXVIII/08-14-वि०प्रौ० / 2006 दिनांक 06.02.2008
4—	2008—09	1415.00	415.00	—	—	—
5—	2009—10	1695.00	181.11	25.00	25.00	504(बजट) / XXXVIII/09-59 / 2009 दिनांक 20.11.2009
6—	2010—11	2684.00	365.02	365.02	100.00 265.02	910(बजट) / XXXVIII/10-34/2010 दिनांक 20.07.2010 83(बजट) / XXXVIII/11-24/2010 दिनांक 27.01.2011
7—	2011—12	1700.00	1000.00	756.02	300.00 50.00	323(बजट) / XXXVIII/11-24 / 2011 दिनांक 20.05.2011 420 / XXXVIII/11-49 / 2011 दिनांक 23.08.2011
8—	2012—13	1870.00		333.33	83.33	152 / XXXVIII/12-24 / 2011 दिनांक 30.05.2012
9—	2013—14	1540.00	500.00	260.00	150.00 110.00	141 / XXXVIII/13-24 / 2011 दिनांक 18.04.2013 399 / XXXVIII/13-24 / 2011 दिनांक 30.12.2013
10—	2014—15	3944.00	275.00	275.00	100.00 175.00	184 / XXXVIII/14-24 / 2011 दिनांक 01.05.2014 373 / XXXVIII/14-24 / 2011 दिनांक 18.11.2014

11—	2015—16	3515.00	100.00	100.00	25.00 25.00 50.00	444(1)/XXXVIII/15-24/2011 दिनांक 17.08.2015 618(1)/XXXVIII/15-24/2011 दिनांक 29.12.2015 71(1)/XXXVIII/16-24/2011 दिनांक 01.03.2016
					14.00	109/XXXVIII/16-56/2011 दिनांक 02.03.2016 भवन निर्माण हेतु
12—	2016—17	1114.00	200.00	200.00	66.67 133.33	183(1)/XXXVIII/16-24/2011 दिनांक 20.05.2016 436/XXXVIII/16-24/2011 दिनांक 30.09.2016
	2016—17	494.45	50.00	50.00	16.67 33.33	208/XXXVIII/16(भवन निर्माण)-56/2011 दिनांक 25.05.2016 447/XXXVIII/16(भवन निर्माण)-56/2011 दिनांक 26.09.2016
13—	2017—18	383.00	200.00	100.00	66.67	152/XXXVIII/2017/25/2017 दिनांक 18.05..2017
					33.33	68/XXXVIII/2017/25/2017 दिनांक 05.02..2018
		300.00	50.00	50.00	50.00	308/XXXVIII/2017-56/2011 दिनांक 02.08..2017
14—	2018—19	560.00	250.00	250.00	75.00	212/XXXVIII/2018-15-2018 दिनांक 14.05..2018
					70.00	273/XXXVIII/2018-15-2018 दिनांक 02.07..2018

					20.00	428 / XXXVIII/2018-15-2018 दिनांक 02.11..2018
					35.00	15 / XXXVIII/2018-15-2018 दिनांक 09.01..2019
					50.00	60 / XXXVIII/2018-15-2018 दिनांक 26.02..2019
		400.00	200.00	200.00	50.00	212 / XXXVIII/2018-15 / 2018 दिनांक 14.05..2018
					50.00	274 / XXXVIII/2018 / 56 / 2011 दिनांक 02.07..2018
					100.00	28 / XXXVIII/2019 / 56 / 2011 दिनांक 30.01..2019
		15-	2019-20	331.50	331.50	331.50
					91.65	181 / XXXVIII/2019 / 15-2018 दिनांक 30.04..2019
					106.80	281 / XXXIV/2019 / 15-2018 दिनांक 04.09..2019
					35.70	389 / XXXIV-2/2019 / 15-2018 दिनांक 06.12..2019

					31.50	416 / XXXIV-2/2019 / 15-2018 दिनांक 13.12.2019
		181.00	181.00	180.45	180.45	141 / XXXVIII/2019 / 56 / 2011 दिनांक 30.05.2019
16-	2020-21	356.00	356.00	356.00	19.00	109 / XXXIV-2/2020 / 25-2019 दिनांक 29.06.2020
					240.00	133 / XXXIV-2/2020 / 07 / 2020 दिनांक 23.07.2020
					10.00	183 / XXXIV-2/2020 / 07 / 2020 दिनांक 24.09.2020
					9.00	02 / XXXIV-2/2021 / 07 / 2020 दिनांक 12.02.2021
278.00						
17-	2021-22	330.00	227.00	213.50	213.50	74 / XXXIV-2/2021 / 04 / 2021 दिनांक 29.04.2021
18-	2022-23	342.50	315.00	315.00	114.17 200.83 68.87	55(1)XXXIV-2/2022/04/2021 dated 26/04/2022 58386/2022/XXXIV-2/2022/04/2021 dated 25/08/2022 5238(1)/XXXIV-2/2021/14/2020 dated 25/07/2022

19—	2023—24	410.00	410.00	410.00	363.50	118562/XXXIV-2/2023/04/2021 dated 01/05/2023
					30.00	163463/XXXIV-2/2023/04/56073/2023 dated 20/10/2023
					7.50	174683/XXXIV-2/04/56073/2023 dated 13/12/2023
					900.00	174095/XXXIV-2/2023/04/62569/2023 dated 11/12s/2023

मैनुअल सख्या -12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों
(Subsidy Programme) के क्रियान्वयन की
रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे
कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे
सम्मिलित हैं

[धारा 4(1) (ख) (xii)]

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र को आयोजनागत मद में अनुदान/राज सहायता के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उक्त प्राप्त धनराशि को केन्द्र की आवश्यकतानुसार विभिन्न मदों के लिये आवंटन प्राविधान किया जाता है।

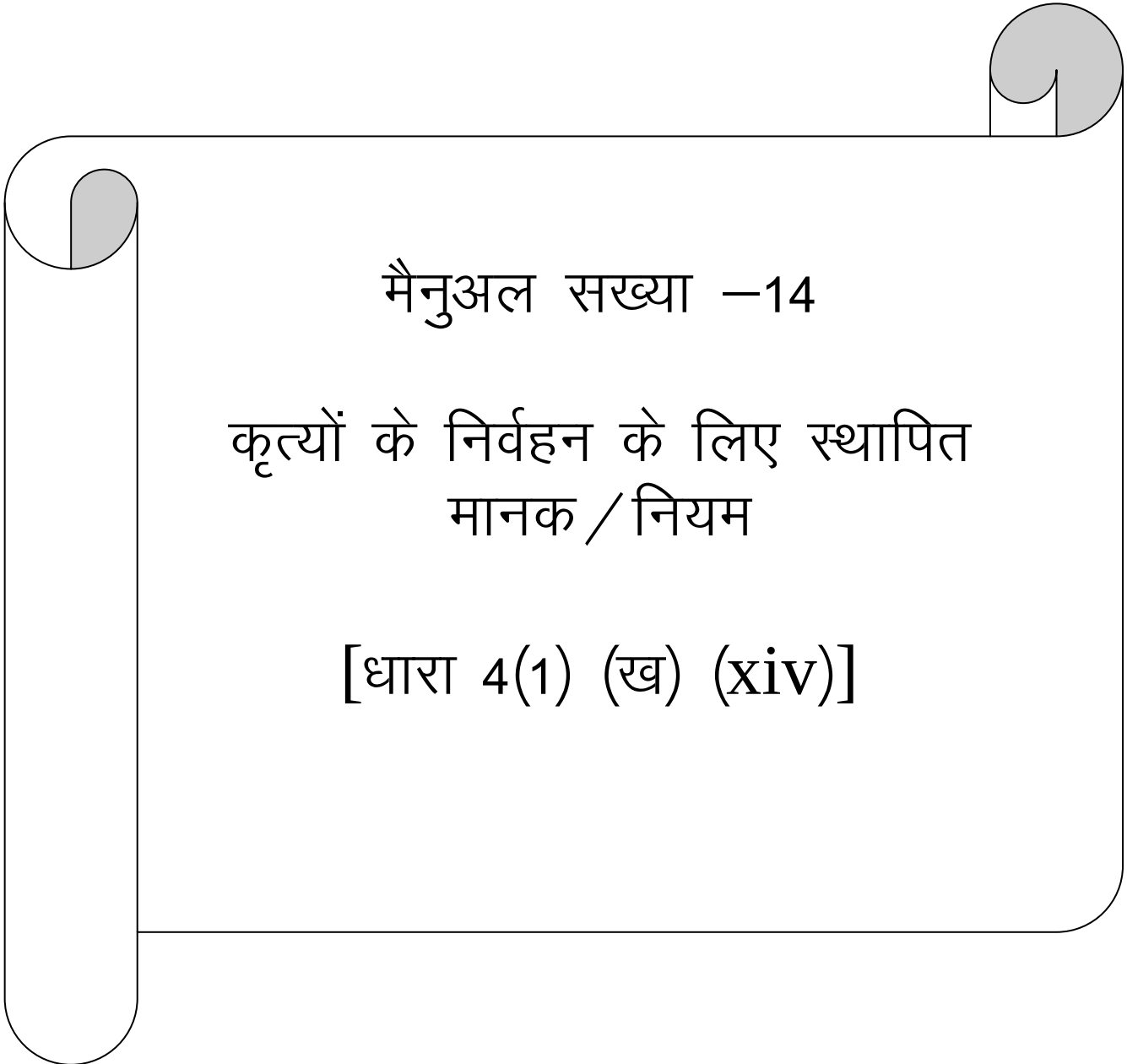
मैनुअल सख्या -13

रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों तथा प्राधिकारों के
प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

[धारा 4(1) (ख) (xiii)]

रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

— लागू नहीं।



मैनुअल सख्या -14

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित
मानक / नियम

[धारा 4(1) (ख) (xiv)]

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के कृत्यों का निर्वहन समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों/शासनादेशों तथा केन्द्र के कार्मिक सेवा दिशा निर्देश-2011 तथा कार्मिक सेवा दिशा निर्देश-2017 के अनुसार किया जाता है।

मैनुअल सख्या -15

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध
सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे

[धारा 4(1) (ख) (xv)]

किसी इलक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की वैबसाइट www.u-sac.in है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड शासन की वैबसाइट www.uk.gov.in के अन्तर्गत भी उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की वैबसाइट भी उपलब्ध है।

मैनुअल सख्या -16

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को
उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी
पुस्तकालय या वाचनालय यदि लोक
उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो
उसका भी विवरण

[धारा 4(1) (ख) (xvi)]

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के पुस्तकालय में तथा लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना के अधिकार सम्बन्धी मैनुअल उपलब्ध है जहां से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।

1—उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के मुख्यालय भवन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्वागत कक्ष में ही एक सुविधा कक्ष (Facilitation Counter) बनाया गया है जो अनुरोधकर्ताओं/नागरिकों की सुविधा के लिए है। यहां पर नागरिकों की सुविधा के लिए अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत तैयार किए गए सभी 17 मैनुअल तथा मैनुअल में सम्मिलित सूचनाओं से सम्बन्धित शासनादेशों आदि की प्रतियां उपलब्ध है।

2—उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा नोटिस, विज्ञापन, आदेश आदि पारित किए जाते हैं तो इसे सूचना पट्ट पर चस्पा करने के साथ ही केन्द्र की वेबसाइट www.u-sac.in पर उपलब्ध करा दिया जाता है।

3—उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के कार्मिक सेवा दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार के नियम, निर्देश आदि से सम्बन्धित अभिलेख मैनुअल संख्या 5 में उपलब्ध है।

4— उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के अन्तर्गत संचालित विभिन्न वैज्ञानिक क्रियाकलापों एवं संचालित परियोजनाओं से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी केन्द्र की वेबसाइट www.u-sac.in से प्राप्त की जा सकती है।

5— उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित टेलीफोन डायरेक्ट्री मैनुअल संख्या—9 में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई है। साथ ही केन्द्र के स्वागत कक्ष से अधिकारियों/कर्मचारियों के दूरभाष नं० प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नामित लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी को लिखित रूप में अनुरोध/अपील के माध्यम से केन्द्र से सम्बन्धित वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

6—सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत स्थापित प्रकोष्ठ कार्यालय दिवस में प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक खुला रहता है। अतः केन्द्र से सम्बन्धित किसी भी प्रकृति की सूचना आदि व्यक्तिगत रूप से कोई देखना चाहता है तो उक्त समयानुसार देख सकते हैं। यहां पर उक्त समय में केन्द्र द्वारा अधिकृत कर्मचारी सदैव नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

7—सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) के अनुसार केन्द्र द्वारा तैयार किए गए 17 मैनुअलों में संकलित सूचनाएं केन्द्र की वैबसाइट www.u-sac.in पर नागरिकों की सुविधा हेतु उपलब्ध रहेगी।

मैनुअल सख्या -17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

[धारा 4(1) (ख) (xvii)]

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

केन्द्र की स्थापना से अद्यतन सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण में प्राप्त अनुरोध पत्र, अनुरोधकर्ताओं को दिए गए उत्तर तथा सम्बन्धित अपीलों का विवरण केन्द्र में उपलब्ध हैं।

